

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र0 515 / 11
संस्थित दि: 08 / 07 / 11

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

धनराज पिता ब्रजलाल उइके, उम्र 43 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम मानपुर चौकी डोरा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

—:: **निर्णय** ::—

(आज दिनांक – 01 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 354 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 30 / 06 / 2011 को प्रातः 09:00 बजे ग्राम मानपुर थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया शांतिबाई के घर में फरियादिया को हमला करने की तैयारी से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया शांतिबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया शांतिबाई ने दिनांक 30.06.2011 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 30.06.2011 को 09:00 बजे उसका पति खाना खाकर कमरे में लेटा था, बच्चे रसोई में खाना खा रहे थे। वह कमरे में बैठी थी उसी समय गांव का धनराज उइके उसके घर में घुस गया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसके घर ले जाने लगा। वह चिल्लाई तो उसके बच्चे और गांव के लोग आ गये तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82 / 11 धारा 452, 354 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता

की धारा 452, 354 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 354 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादिया ने पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 30/06/2011 को प्रातः 09:00 बजे ग्राम मानपुर थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया शांतिबाई के घर में फरियादिया को हमला करने की तैयारी से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया शांतिबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादिया शांतिबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी 09:00 बजे की उसके घर की है। उसके पति की तबियत खराब होने से उसका पति कमरे में लेटा हुआ था। वह उसके बच्चों को खाना दे रही थी। आरोपी आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर गली की तरफ लेकर जा रहा था। उसके बच्चे चिल्लाये तो उसका पति उठकर आया और आरोपी को कमची से मारकर आरोपी को भगाया। घटना की रिपोर्ट उसने चौकी डोरा

में लिखित में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके लिखित आवेदन पत्र पर से प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी और उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता चित्रराज (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 30.06.2011 को उसने अपराध क्रमांक 82/11 धारा 452, 354 भा.दं.वि. का अपराध आरोपी धनराज के विरुद्ध कायम किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मनोज यादव (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 30.06.2011 को पुलिस चौकी सोनगुड्डा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे चौकी प्रभारी द्वारा आरोपी धनराज के विरुद्ध की गई शून्य पर कायमी की असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था तथा इसी प्रकार विवेचनाकर्ता आर.एस.उयके (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 30.06.2011 को पुलिस चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी शांतिबाई की रिपोर्ट पर से आरोपी धनराज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/11 अन्तर्गत धारा 452, 354 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल का मौका नक्शा फरियादिया की निशादेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-03 है। फरियादिया का लिखित आवेदन पत्र प्रदर्श पी-01 है। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। साक्षी शांतिबाई, करनसिंह, अघनसिंह, सुनीता, रामू और शान्तिबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(09) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी करणसिंह (अ.सा. 2) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी 09:00 बजे की है। वह खाट पर सोया हुआ था और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। आरोपी घर के अन्दर आया और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ कर ले जा रहा था। उसकी पत्नी चिल्लाई तो उसने देखा कि आरोपी उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा था। उसने कमची से आरोपी को मारा और भगाया।

(10) इसी प्रकार फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी सुनीता (अ.सा. 3) का भी कहना है कि घटना के समय वह घर पर भी आरोपी धनराज ने उसके घर में आकर उसकी माँ का हाथ पकड़ कर खींचकर गली तरफ ले जा रहा था। उसके पापा ने धनराज को कमची से मारकर भगाया।

(11) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी अघनसिंह (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी 09:00 बजे की है। उसके पिता एक कमरे में सोये हुये थे दूसरे कमरे में उसकी माँ बैठी हुई थी। आरोपी धनराज उसके घर में घुसा और माँ का हाथ पकड़ कर गली तरफ ले जा रहा था तो उसने उसके पिता को जगाया और उसकी माँ को छुड़ाया।

(12) अभियोजन साक्षी रामलाल (अ.सा. 5) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी उसके मकान के सामने धनराज उयके और करणसिंह और शांतिबाई बैठे हुये थे एवं अभियोजन साक्षी शांतिबाई (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है। फरियादिया ने पुरानी रंजिश को लेकर झूठी रिपोर्ट कर असत्य कथन किये है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी रामलाल एवं शांतिबाई ने फरियादिया के कथनों का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी/फरियादिया शांतिबाई (अ.सा. 1) का स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी 09:00 बजे की उसके घर की है। उसके पति की तबियत खराब होने से कमरे में लेटा हुआ था। वह उसके बच्चों को खाना दे रही थी। आरोपी आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर गली की तरफ लेकर जा रहा था। उसके बच्चे चिल्लाये तो उसका पति उठकर आया और आरोपी को कमची से मारकर उसे छुड़ाया। घटना की रिपोर्ट उसने चौकी डोरा में लिखित में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके लिखित आवेदन पत्र पर से प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी और उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता चित्रराज (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 30.06.2011 को उसने अपराध क्रमांक 82/11 धारा 452, 354 भा.दं.वि. का

अपराध आरोपी धनराज के विरुद्ध कायम किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मनोज यादव (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 30.06.2011 को पुलिस चौकी सोनगुड्डा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे चौकी प्रभारी द्वारा आरोपी धनराज के विरुद्ध की गई शून्य पर कायमी की असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता आर.एस.उयके (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 30.06.2011 को पुलिस चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी शांतिबाई की रिपोर्ट पर से आरोपी धनराज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/11 अन्तर्गत धारा 452, 354 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल का मौका नक्शा फरियादिया की निशादेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-03 है। फरियादिया का लिखित आवेदन पत्र प्रदर्श पी-01 है। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। साक्षी शांतिबाई, करनसिंह, अघनसिंह, सुनीता, रामू और शान्तिबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी करणसिंह (अ.सा. 2) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी 09:00 बजे की है। वह खाट पर सोया हुआ था और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। आरोपी घर के अन्दर आया और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ कर आंगन तक निकाल कर ले गया। उसकी पत्नी चिल्लाई तो उसने देखा कि आरोपी उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा था। उसने कमची से आरोपी को मारा और भगाया। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुनीता (अ.सा. 3) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना के समय वह घर पर भी आरोपी धनराज ने उसके घर में आकर उसकी माँ का हाथ पकड़ कर खींचकर गली तक ले गया। उसके पापा ने धनराज को कमची से मारकर भगाया और छोड़ा। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी अघनसिंह (अ.सा. 4) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी 09:00

बजे की है। उसके पिता एक कमरे में सोये हुये थे दूसरे कमरे में उसकी माँ बैठी हुई थी। आरोपी धनराज उसके घर में घुसा और माँ का हाथ पकड़ कर गली तक ले गया तो उसने उसके पिता को जगाया और उसकी माँ को छुड़ाया। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी रामलाल (अ.सा. 5) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी उसके मकान के सामने धनराज उयके और करणसिंह और शांतिबाई बैठे हुये थे तथा अभियोजन साक्षी शांतिबाई (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

(21) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादिया शांतिबाई (अ.सा. 1) एवं साक्षी आर.एस.उयके (अ.सा. 6), मनोज यादव (अ.सा. 9), चित्रराज (अ.सा. 8), करणसिंह (अ.सा. 2), सुनीता (अ.सा. 3) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। मात्र अभियोजन साक्षी रामलाल (अ.सा. 5) एवं शांतिबाई (अ.सा. 7) के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने से अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद नहीं कहा जा सकता। यदि एक साक्षी की भी साक्ष्य विश्वासनीय हो तो अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद नहीं माना जा सकता।

(22) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादिया ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर रंजिशवश झूठे कथन किये है, किन्तु आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता ने इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी को फरियादिया ने रंजिशवश झूठा फंसाया है और असत्य कथन किये है।

(23) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 30/06/2011 को प्रातः 09:00 बजे ग्राम मानपुर थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया शांतिबाई के घर में फरियादिया को हमला करने की तैयारी से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया शांतिबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के

आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(24) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 354 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(25) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(26) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च:—

(27) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(28) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(29) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(30) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(31) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के आरोप में 06 (छः) माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500/— (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में 06 (छः) माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500/— (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का साधारण

कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे। आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 एवं 354 के आरोप में दी गई 06, 06 (छः-छः) माह के साधारण कारावास की सजा एक साथ भुगतायी जावे।

(32) आरोपी द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(33) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)